ters where human distress is brought to my notice, I do what I can. It is not humanly possible for me to deal with all the cases, we have to rationalise the whole thing when we can do better. Now, a man knows on the 25th of every month whether he is going to get a quarter or not. This year, I have said this before in this House, my funds have been cut to the extent of 100 per cent. I have not got a single penny from the Ministry of Finance for the construction of houses. I am finishing in a minute, Sir. If more funds are given to me, naturally we can help the poor and we can help all those persons who are in the lower rungs of the ladder. As long as more houses are not constructed, my position remains that of a bridge-player who can only reshuffle the same old pack without getting a new one.

18.32 hrs.

HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Mr. Chairman: Shri Pattabhi Raman may continue his reply.

Shri C. R. Pattabhi Raman: The Bill of my esteemed friend Shri Tiwari seeks to prevent widow from making gifts or *mala fide* sales in favour of her son after ignoring the step-son in the case of two wives. It has been explained in detail and the Bill seeks only to have a provision to sub-section (1) of section 14 of the Hindu succession Act, 1956 to which reference has been made I do not want to tire the House by reading the section. The House is aware how the Hindu women property rights were acquired and how it was decided that 'before and after the commencement' of the Act she should have these rights, as a full owner and not as a limited owner. Many Members referred to the discriminatory aspect of the old Hindu law. All that has been referred to. The explanation there is rather important. It includes both the movable and immovable property and goes on with various other categories. Before the enactment she did not possess absolute property rights in all cases. Reference has been made to *Stridhanam* and all the other things and what was called the limited estate which was a peculiar practice, which was typical of the Hindu law as it was before the amendment. It was not as if we were caught napping when section 14 of the Act was passed by the Parliament.

Section 14 of the said Act was the subject of elaborate discussion in Parliament. It was not as if there was any slip. As originally drafted it was intended to apply to properties acquired by a female Hindu after the commencement of the Act, but Parliament decided that the provision should also apply to properties acquired by a female Hindu before the commencement of the Act and which were in her possession at the commencement of the Act subject to sub-section (2) of section 14 of the Act. As the widow is now the absolute owner of the property, she can lawfully dispose of any such property in any manner she likes even to the detriment of the interest of her step-sons and step-daughters, such a result was not totally un-intended, it was done with open eyes. As I said, it is not as if we were caught napping or there was some slip. Cases in which such rights may have been affected by reason of the retrospective operation given to section 14 of the Act have not been many and would further decline with the passage of time. We have the prevention of Bigamy Act and all this and with the passage of time, these cases will be few and far between.

As regards the suggested amendment to declare void such transfers of property acquired after the commencement of the Act by the widow which are not for consideration and *bona fide* and which prejudice the claims of step-sons and step-daughters, the amendment, if accepted, may give rise to some difficulties. I shall finish in a few minutes. Sir. Firstly, it would

[Shri C. R. Pattabhi Raman]

be retrospective in effect to the extent that it would declare as void all transfers made by a widow without consideration and not *bona fide* since the commencement of the Act. It would thus unsettle the transactions legally entered prior to the enactment of the present Bill. Still more it would open the flood gates for litigation by step-sons and step-daughters against the transfers made by the step-mother especially when there will be no love lost between them. Every transaction is likely to be branded as *mala fide* as culminate in litigation.

Secondly, the problem pointed out might arise not only in the case of a widow *vis-a-vis* step-daughters and step-sons but in other cases also, such as an issueless daughter *vis-a-vis* her reversioners, *vide* sub-section (2) of section 15 of the Act where the properties are left in the hands of any other female as full owner.

Thirdly, the purpose of the section has been to do away with the concept of the Hindu women's limited estate as such, and if the Bill is accepted it is likely to create such estates in a modified form by the back-door. Really, the result of this Bill, once it becomes law, will be this: that is to say, you will really be bringing in a limited estate by the back-door.

Fourthly, the amendment suggested by the hon. Member seems to be slightly beyond the scope of the Hindu Succession Act. The Act was passed in order to amend and codify the law relating to intestate succession among Hindus and not restrict *inter vivos* transfers, as they say.

Finally, in case property has been inherited by the Hindu widow after the commencement of the Act, her step-sons and step-daughters would also get a share in the property of her husband under section 8 read with section 9 of the Act, because all these persons would come in class I of the Schedule.

Therefore, I am unable to accept this Bill, and I would make the usual request, in spite of what Shri D. C. Sharma has told Shri Tiwary, namely that he must not withdraw the Bill. I would request him to withdraw the Bill because of the implications.

श्री द्वा० ना० तिवारी : सभापति महोदय, समाज में जब कोई ऐसी बात होती है, जिस से समाज में कुछ विशृंखलता पैदा हो या कोई बहुत अन्याय होता हो, तब कानून बनता है या उस में संशोधन लाया जाता है। बहुत पुराने जमाने से हिन्दू धर्म के कानून के अनुसार मिताक्षरा या दयाभाग के अनुसार सक्सेशन होता था, लेकिन जब यह देखा गया कि उस से चन्द लोगों का नुकसान हो रहा है, औरतों को नुकसान हो रहा है, उन को कोई हक नहीं मिलता है, तो सक्सेशन के सम्बन्ध में एक नया कानून तैयार किया गया। पहले यह स्थिति नहीं थी कि पति के मर जाने के बाद सब औरतें बे-घरबार की हो जाती थीं लेकिन अपने घर में रहते हुए भी उन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस लिए वह कानून लाया गया। इसी प्रकार हिन्दू मैरिज एक्ट या स्पैशल मैरिज-एक्ट का परिणाम यह नहीं हुआ है कि सब लोग दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं। चूंकि कुछ ऐसे इन्स्टेंसिज पाए गए थे, जिन में कुछ डिफीकल्टी होती थी, इस लिए कानून में हेर फेर किया गया। अगर कोई कानून बनने के बाद समाज में कोई ऐसी बात होती है कि उस से समाज में कोई अन्याय होता हो, तो उस कानून में संशोधन किया जाता है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं है कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में विडो को एब्सोल्यूट राइट हो। लेकिन उस राइट को इस तरह से व्यवहार में न लाया जाना चाहिए, जिस से दूसरों को हानि हो। जब मिताक्षरा सिस्टम कायम था, तब अगर कोई पिता नाजायज तरीके से या व्यभिचार के कारण कर्ज ले लेता था, तो वह

कर्जा नाजायज हो जाता था, जो प्रापर्टी नाजायज तरीके से बिक जाती थी, वह पुराने वंश में आ जाती थी और उस प्रापर्टी का खरीदना नाजायज हो जाता था। ऐसे ही मैं चाहता हूं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भी।

हम ने विडो को प्रापर्टी में राइट दे कर ठीक किया। मैं यह नहीं चाहता हूं कि वह राइट करटेल हो। मैं चाहता हूं कि विडो के भरण-पोषण, दवा दारू और धर्माचार आदि की आवश्यकता की पूर्ति के सम्बन्ध में कोई कमी या असुविधा न हो। लेकिन इस के साथ यह भी आवश्यक है कि विडो के स्टेप-सन या स्टेप-डाटर के साथ समानता और इक्वेलिटी का व्यवहार किया जाये। इस लिए मैं चाहता हूं कि विडो को यह हक़ नहीं होना चाहिए कि वह अपनी जायदाद को बेच कर अपने शरीर से पैदा हुई लड़के को तो पूरा दे और अपने स्टेप-सन का हक मार दे। मैं नहीं समझता कि इस में कौनसी नाजायज बात है।

श्री बड़े ने कहा कि इस संशोधन के बाद विडो अपनी प्रापर्टी को गिफ्ट भी नहीं कर सकती है। वह गिफ्ट तो कर सकती है, लेकिन अपने स्टेप-सन को डिप्राइव करने के लिए नहीं। अगर वह अपनी सारी प्रापर्टी को गिफ्ट कर दे, तो और बात है, लेकिन सम्पत्ति को जो शेयर उस के स्टेप-सन को मिलता है, उस को तो वह गिफ्ट कर दे और जो शेयर उस के अपने लड़के को मिलना है, उस को गिफ्ट न करे, इस डिस्क्रिमिनेशन को खतम करने के लिए यह बिल लाया गया गया है।

मुझे मालूम नहीं कि मंत्री जी क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और म बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वह इस बिल के सिद्धांत को मान लें और बाद में स्वयं कोई बिल लायें। अगर इस बिल के वर्डिंग्ग में कोई डिफेक्ट है, तो वह उस को दुरुस्त कर दें। उदाहरण के लिए यह 1965 का बिल है, लेकिन अगर यह पास हुआ, तो 1965 के बजाये 1966 जुड़ जायेगा। अगर वह इस बिल को फ्रेज़ग्रालजी और वार्डिंग्ग में कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस अन्याय को तो बन्द करें कि एक ही पिता से लेकिन दो माताओं से दो लड़के पैदा होते है, एक लड़के को पूरी जायदाद मिल जाती है, अपनी मां के हिस्सा भी मिल जाता है और दूसरा वंचित रहता है, इस बात को न होने दिया जाय। यह मैं चाहता हूं। अगरचे कोई इस में अन्याय होता या विडो के राइट का करटेलमेंट होता तो मैं कभी संशोधन नहीं लाता। राइट ऐब्सोल्यूट कहीं नहीं होते, डेमोक्रेसी में फ्रीडम आफ़ स्पीच है लेकिन इस को भी करटेल किया जाता है, इसलिए कि देश के दूसरे समाज पर स का हानिकारक प्रभाव न पड़े या कोई देश में गड़बड़ पैदा न हो। कोई राइट्स कहीं ऐब्सोल्यूट दुनिया में होते नहीं। वह सर्कमस्टांसेज़ से गाइड होते हैं, परिस्थितियां से गाइड होते हैं। जब लड़ाई छिड़ जाती है तो अखबारों पर रोक लगाई जाती है, लोगों के बोलने पर रोक लगायी जाती है। यहां भी एेसा अन्याय हो रहा है। ऐसे केसेज एक नहीं हैं, बहुत से केसेज हैं जो स्टेप सन को जायदाद से महरूम किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस कानून को पास हुए अभी तो केवल दस वर्ष हुए हैं। इतनी अधिक प्रापर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई होगी कि बहुत सा अनसेटिल करना पड़ेगा। अगर दो चार इधर उधर हुई होगी तो उन को करने में क्या हर्ज है? आप ने जब विडो का राइट्स दिया तो वह भी पहले से ही जो विडो हो गई हों, उनको भी दिये। तो वहां भी लोग कह सकते थे कि उन को क्यों किया गया? तो यह तो कानून का मंशा होता है कि उसको दुरुस्त किया जाय और आगे भी अन्याय न होने पाये इसलिए कानून

बनना है। तो मैं विधि मंत्री से अपील करूंगा कि इस का विरोध न करें। इस को मान लें या हम को आश्वासन दे दें कि दूसरा बिल लायेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस को विदड्रा कर लूंगा।

Shri C. R. Pattabhi Raman: I have already explained the implications of this. Certainly what has fallen from a senior member like him will be kept in mind.

Shri D. N. Tiwary: Is he bringing any Bill to remedy this defect? Then I will withdraw.

Shri C. R. Pattabhi Raman: It is not so easy. Once you restrict it like this, the result will be the woman in India will be different from the man so far as property is concerned. I never take a technical stand. I have already explained the implications. As I said, what has fallen from him will be kept in mind.

श्री द्वा० ना० तिवारी : जब उन्होंने यह कहा कि इस को ध्यान में रखेंगे और इस गड़बड़ को दूर करने की कोशिश करेंगे तो मैं इस को विदड्रा कर लेता हूं।

Mr. Chairman: The Bill is withdrawn.

The Bill was, by leave, withdrawn.

18.45 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new section 6A) by Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे रेप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल्स बिल के ऊपर विचार किया जाय। इस विधेयक के प्रस्तुत करने का जो मेरा उद्देश्य है आप अनुमति दें तो मैं अभी कहूं या फिर आगे कहूंगा?

सभापति महोदय : आप दो चार मिनट बोलिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह विधेयक मैं 11 मार्च 1964 को प्रस्तुत किया था और अब आज है दिसम्बर की दूसरी तारीख। यानी इसको प्रस्तुत किये हुए भी दो वर्ष आठ महीने से अधिक हो गए। और उस समय जो बिल को प्रस्तुत करने का उद्देश्य था वह यह था कि ऐसे व्यक्ति चुनाव में खड़े होने से वंचित किये जायें कि जो 6 महीने पहले किसी विधान सभा या लोक-सभा में मिनिस्टर हों। दूसरा अर्थ यह है कि 6 महीने पहले जो मंत्रिमंडल हैं प्रान्तों के या केन्द्र के वह अपने स्थान से हट जायें और उन के बजाय राष्ट्रपति शासन हो ताकि देश में निष्पक्ष चुनावों की प्रणाली जारी हो सके। क्योंकि अब हमारे देश में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए ऐसे समय में इस विधेयक का आना इस दृष्टि से भी और महत्वपूर्ण है ताकि चुनाव की पवित्रता और चुनाव की जो निष्पक्षता है उस को बनाये रखने के ऊपर सरकार विचार करे सके। अभी तक आप को पता है कि हमारे देश में कई स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं

सभापति महोदय : अब प्राप्त जिस दिन इस का नम्बर होगा उस वक्त बोलेंगे।

18.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December 3, 1966/Agrahayana 12, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS II—2346 (ai) LSD—9-1-67—970.